

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला बालाघाट,

(पीठासीन अधिकारी-अमनदीपसिंह छाबडा)

आप.प्रक.क्रमांक-403 / 2011

संस्थित दिनांक-15.06.2011

फाई. क्र.234503000472011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — अभियोजन

// विरुद्ध //

नारायण पिता लक्ष्मण देवराज, उम्र-42 वर्ष,

निवासी ग्राम उकवा वार्ड नंबर-13 थाना रूपझर जिला बालाघाट

— — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-31 / 10 / 2017 को घोषित)

01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(उन्नीस शीर्ष), 304ए का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 28.04.2011 को समय करीब 1:30 बजे स्थान मलाजखण्ड रोड़ बैहर आरक्षित केन्द्र बैहर के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्र.एम.पी.50एच.0585 मेटाडोर 1109 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत सुमनसिंह, अमीलाल, हिरदेसिंह, सुनिता, सुदनबाई, विनोद, सद्धुलाल, फूलाबाई, रमसूलाबाई, अजय, दिनेश, पुसियाबाई, राजेन्द्र, दीपक, लालसिंह, भगताराम, योगेश्वरी, मुकेश एवं पंकेश को साधारण उपहति कारित किया एवं उक्त वाहन में बैठे मृतक रोशनलाल की मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी बुंदरसिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 28.04.11 को रात्रि में करीब 1.30 बैहर कम्पाउण्डर टोला मेन रोड़ पर मेटाडोर वाहन क्रमांक एम.पी.50एच.0585 को चालक नारायण धोबी द्वारा तेज रफ्तार, लापरवाहीपूर्वक चलाकर रोड़ में लगे

डिवाइडर को ठोस मारकर पलटा दिया जिससे वाहन में बैठे बारातियों को चोट लगी है। ड्राइवर के बाजु में कण्डेक्टर सीट पर बैठे रोशनलाल को भी चोट लगी है जो घायल है। समस्त घायलों एवं घायल पंकेश, दीपक, विनोद, सद्धुलाल को बैहर अस्पताल ईलाज हेतु ले जाया गया तथा ईलाज के दौरान ही रोशनलाल फौत हो गया। रोशनलाल की मौत एक्सीडेण्ट में आई चोटों के कारण हुई है। प्रकरण में आरोपी सदर द्वारा अपराध घटित किये जाने सिद्ध पाये जाने पर कागजात जप्त कर आरोपी की गिरफ्तारी की गई जमानत मुचलका पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। मामले की विवेचना पूर्ण होने एवं आरोपी द्वारा अपराध घटित करना सिद्ध पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 58/11 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(उन्नीस शीर्ष), 304ए के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक-28.04.2011 को समय करीब 1:30 बजे स्थान मलाजखण्ड रोड़ बैहर आरक्षित केन्द्र बैहर के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्र. एम.पी.50एच.0585 मेटाडोर 1109 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को लोकमार्ग पर लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर उक्त वाहन को पलटाकर उसमें बैठे आहत सुमनसिंह, अमीलाल, हिरदेसिंह, सुनिता, सुदनबाई, विनोद, सद्धुलाल, फूलाबाई, रमसूलाबाई, अजय, दिनेश, पुसियाबाई, राजेन्द्र, दीपक, लालसिंह, भगतराम, योगेश्वरी, मुकेश एवं पंकेश को साधारण उपहति

कारित किया ?

3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को लोकमार्ग पर लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर उक्त वाहन को पलटाकर उसमें बैठे मृतक रोशनलाल की मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आता ?

—विवेचना एवं निष्कर्ष:—

05— विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 से 03

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

06— साक्षी बुंदरसिंह अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी नारायण को पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब 05 माह पूर्व गर्मी के समय की है। वह घटना दिनांक को ग्राम ढोढियाटोला से अपने घर वापस 407 वाहन में बैठकर आ रहे थे, जिसे आरोपी चला रहा था। उक्त वाहन में करीब 30-35 लोग बैठे थे, उनका वाहन बैहर के अस्पताल के पास डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे वाहन पलट गया। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी, क्योंकि उस समय वाहन की स्पीड काफी तेज थी। उक्त घटना में उसे दाहिने हाथ की भुजा के पास चोट आई थी। उसका मुलाहिजा बैहर अस्पताल में हुआ था। उसने घटना की रिपोर्ट बैहर थाने में किया था, जो प्रपी-2 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

07— साक्षी बुंदरसिंह अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-03 में कथन किया है कि जिस समय घटना हुई थी, उस समय वह वाहन में था और उक्त घटना में उसे भी चोट आई थी। घटना रात्रि करीब 1.30 बजे घटित हुई थी, जिस समय गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उस समय उसकी स्पीड करीब 30-40 कि.मी. रही होगी। घटना के समय वह वाहन के पीछे बैठा था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह उस समय सो रहा था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वाहन सामान्य गति से चल रहा था। वह

नहीं बता सकता कि आरोपी की गलती से एक्सीडेंट हुआ था या नहीं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह घटना के समय वाहन में पीछे बैठा था, इसलिए नहीं बता सकता कि किसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ था और कैसे दुर्घटना कारित हुई थी, वह जब रिपोर्ट करने गया था, तब पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी, सिर्फ हस्ताक्षर करायी थी।

08— साक्षी राजेन्द्र मर्सकोले अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी नारायण को पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 03 माह पूर्व की है। घटना दिनांक को वह 407 वाहन में बैठकर ग्राम ढोढियाटोला से ग्राम भर्री जा रहा था, जिसमें करीब 30 लोग बैठे थे। वह लोग बारात से वापस आ रहे थे, जिसे आरोपी चला रहा था, तभी उनका वाहन बैहर के कंपाउंडरटोला के पास डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया था, जिससे उसके सीने पर दर्द हो रहा था। उसका ईलाज बैहर अस्पताल में कराया गया था। उक्त वाहन आरोपी की गलती से डिवाइडर पर चढ़ गया था, उस समय आरोपी शराब के नशे में था। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। आरोपी उस समय 407 वाहन को बहुत तेज गति से चला रहा था। उक्त 407 वाहन को पुलिस ने उसके सामने कब्जे में लिया था, फिर जप्ती पत्रक प्रपी-1 उसके सामने पुलिस ने बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

09— साक्षी राजेन्द्र मर्सकोले अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि एक्सीडेंट के समय वह वाहन में पीछे बैठा था। घटना करीब 02 से 2:30 बजे की है, उस समय वह जाग रहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त वाहन डाला वाला है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि घटना के समय आरोपी गाड़ी को धीमी गति से चला रहा था। साक्षी के अनुसार बहुत तेज गति से चला रहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उस समय वाहन की स्पीड करीब 30-40 कि.मी. रही होगी। साक्षी ने अस्वीकार किया कि वह नहीं बता सकता कि उक्त घटना किसकी गलती से

हुई थी। साक्षी के अनुसार आरोपी की गलती से हुई थी, क्योंकि वह घटना के समय शराब पिये हुआ था और बार-बार मना करने के बावजूद तेजगति से वाहन को चला रहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि जब वह थाना गया था, तब पुलिस ने सिर्फ हस्ताक्षर कराये थे, वह घटना के समय वाहन के पीछे की ओर बैठा था, इसलिए नहीं बता सकता कि उक्त दुर्घटना कैसे घटित हुई थी।

10— साक्षी सुमनसिंह अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह आरोपी नारायण को नहीं जानता। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक वर्ष पूर्व रात के 3:00 बजे की है। वह लोग गोंडियाटोला से बारात में डग्गा में जा रहे थे, जिसमें वह भी बैठा था। डग्गा कौन चला रहा था वह नहीं जानता, परंतु चलाने वाले ने बैहर में अस्पताल के पास डग्गा पलटा दिया था। बैठे हुये लोगों को चोटें आई थी। कंडेक्टर रेशनलाल की चोट लगने से मृत्यु हो गई थी, उसे पसली में चोट आई थी। घटना डग्गा चलाने वाले की गलती से हुई थी। चालक कैसे चला रहा था, वह नहीं बता सकता, क्योंकि वह पीछे बैठा था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि डग्गा मेटाडोर था, डग्गा को नारायण चला रहा था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि नारायण ने मेटाडोर को तेज और लापरवाही से चलाया था। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि गाड़ी में वापस आते समय पीछे बैठा था, रात का समय होने के कारण झपकी आ रही थी, ड्रायवर सामने गाड़ी चला रहा था उसने देखा नहीं की वह कैसे गाड़ी चला रहा था, जब वह लोग ढोंढियाटोला से निकले थे, तब गाड़ी अच्छे से चलाते आ रहा था, गाड़ी कैसे पलटी, वह नहीं जानता, उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था।

11— साक्षी सुनिता अ.सा.05 ने कथन किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो-तीन वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह बारात में भरी से ढोंढियाटोला मेटाडोर में बैठकर गई थी। उसके साथ मेटाडोर

में अन्य लोग भी बैठकर बारात गये थे। उनकी मेटाडोर पलट गई थी, जिससे वह बेहोश हो गई थी, सुबह होश में आयी थी, तब उसे मेटाडोर पलटने वाली बात बतायी गई थी। घटना के समय मेटाडोर कौन चला रहा था, उसे जानकारी नहीं है। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। दुर्घटना में उसे नाक, सीने एवं पीठ पर चोटें आई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि आरोपी नारायण ने मेटाडोर क्र.एम.पी.50एच.0585 को लापरवाहीपूर्वक चलाकर मेन रोड पर बने डिवाइडर को ठोस मारकर मेटाडोर को पलटा दिया था, किन्तु यह स्वीकार किया कि उक्त दुर्घटना वापस डोंडियाटोला से भरी आ रहे थे, तब हुई थी। साक्षी के अनुसार उसे जानकारी नहीं है, कि मेटाडोर कौन चला रहा था और कैसे पलटी क्योंकि वह बेहोश हो गई थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उक्त दुर्घटना में मृतक रोशनलाल की मृत्यु हो गई थी। साक्षी ने अस्वीकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-03 का कथन दी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जिस वक्त वह डोंडियाटोला में मेटाडोर में बैठे थे, उस वक्त मेटाडोर कौन चला रहा था, उसे जानकारी नहीं है।

12— साक्षी सदनबाई अ.सा.06 ने कथन किया है कि वह आरोपी नारायण को नहीं पहचानती। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह लोग बारात से मेटाडोर में बैठकर वापस ग्राम भरी आ रहे थे। उसने मेटाडोर चालक को नहीं देखी थी, उनकी मेटाडोर कंपाउंडरटोला बैहर की रोड पर टकराकर पलट गई थी, जिससे उसे गाल में दाहिने तरफ एवं गर्दन पर चोट आई थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी, उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि आरोपी नारायण ने मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50—एच.—0585 को लापरवाहीपूर्वक चलाकर पलटा दिया था, उसने पुलिस को प्रपी-4 का अ से अ का कथन दी थी, वह आरोपी से मिल गयी है इसलिए उसे बचाने के लिए झूठे

कथन कर रही है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि रोड़ पर बना डिवाइडर स्थिर रहता है, मेटाडोर चालक के द्वारा गलत चलाकर डिवाइडर से टकराया गया था, जिसके कारण मेटाडोर पलट गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त मेटाडोर को कौन चला रहा था, उसने नहीं देखी, मेटाडोर में वह पीछे बैठी थी, जिसके कारण मेटाडोर किससे टकराई उसने नहीं देखी, रोड़ में जो डिवाइडर रहते हैं, वह स्थिर रहते हैं या चलते रहते हैं, इसकी उसे जानकारी नहीं है।

13— साक्षी विनोद अ.सा.07 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो-तीन वर्ष पूर्व की है। घटना रात्रि देढ़-दो बजे बैहर अस्पताल के पास की है। घटना दिनांक को वह डोंडियाटोला से ग्राम भर्री मेटाडोर से जा रहे थे। उनकी मेटाडोर बैहर अस्पताल के आगे पलट गई थी, उसे दुर्घटना में बांयी जांघ में चोट आयी थी। उसके अलावा मेटाडोर में 20-25 लोग बैठे हुए थे। उसके अलावा और भी लोगों को चोटें आयी थी। मेटाडोर को कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा था। दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी, वह नहीं बता सकता। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना स्थल पर रोड़ ठीक थी किन्तु अस्वीकार किया कि मेटाडोर चालक नारायण ने मेटाडोर को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए रोड़ में बने डिवाइडर को ठोस मारकर मेटाडोर को पलटा दिया था, उसने पुलिस को प्रपी-5 का बयान दिया था, किन्तु यह स्वीकार किया कि उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था।

14— साक्षी सद्दुलाल अ.सा.08 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पुरानी है। घटना दिनांक को वह लोग डोंडियाटोला से ग्राम भर्री मेटाडोर से जा रहे थे। उनकी गाड़ी बैहर अस्पताल के आगे पलट गई थी, जिससे उसके बायी कमर पर चोट लगी थी, उसका मुलाहिजा बैहर अस्पताल में हुआ था। घटना

किसकी गलती से हुई वह नहीं बता सकता। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटनास्थल पर रोड़ ठीक थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि मेटाडोर चालक नारायण ने मेटाडोर को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये रोड़ में बने डिवाइडर को ठोस मारकर पलटा दिया था, उसने पुलिस को प्रपी-6 का बयान दिया था।

15— साक्षी हिरदे अ.सा.09 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह लोग डोंडियाटोला से भरी आ रहे थे। उनकी गाडी बैहर अस्पताल के पास आकर रोड़ के डिवाइडर से टकराने से पलट गई थी। आरोपी उक्त वाहन को कैसे चला रहा था, इसकी उसे जानकारी नहीं है, क्योंकि वह पीछे बैठा था। उक्त वाहन को कौन चला रहा था, उसे नहीं मालूम। उक्त घटना में उसके बांये हाथ पर चोट लगी थी, उसका मुलाहिजा बैहर अस्पताल में हुआ था। घटना के बारे में पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटनास्थल पर रोड़ ठीक थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उक्त मेटाडोर को चालक नारायण ने तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर रोड़ के डिवाइडर में टकरा दिया था, उसने पुलिस को प्रपी-7 का बयान दिया था।

16— साक्षी फूलाबाई अ.सा.11 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानती है। वह मृतक रोशनलाल को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो वर्ष पुरानी है। वह अपने गांव से भरी से बैठकर डोंडियाटोला गयी थी। उसके साथ गांव की अन्य बाई लोग भी गये थे। रास्ते में गाड़ी तेज गति से आकर पलट गई थी, जिससे उसे और अन्य बैठे हुये लोगों को भी चोटें लगी थी। उसका उपचार बैहर अस्पताल में हुआ था एवं उक्त दुर्घटना में रोशनलाल की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक

प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस कथन प्रपी-9 पुलिस को दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह लोग बारात में जिस गाड़ी से गये थे, उसका नम्बर या चालक के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, वह उक्त गाड़ी के चालक को भी नहीं जानती, वाहन में वह लोग पीछे बैठे थे, इसलिए गाड़ी की रफ्तार एवं एक्सीडेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

17- साक्षी रमसुलाबाई अ.सा.10 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानती है। वह मृतक रोशनलाल को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो वर्ष पुरानी है। वह अपने गांव से भर्री से बैठकर डोंडियाटोला गयी थी। उसके साथ गांव की अन्य बाई लोग भी गये थे। रास्ते में गाड़ी तेज गति से आकर पलट गई थी, जिससे उसे और अन्य बैठे हुये लोगों को भी चोटें लगी थी। उसका उपचार बैहर अस्पताल में हुआ था एवं उक्त दुर्घटना में रोशनलाल की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस कथन प्रपी-8 पुलिस को दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह लोग बारात में जिस गाड़ी से गये थे, उसका नम्बर या चालक के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, वह उक्त गाड़ी के चालक को भी नहीं जानती, वाहन में वह लोग पीछे बैठे थे, इसलिए गाड़ी की रफ्तार एवं एक्सीडेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

18- साक्षी अजय अ.सा.13 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन-चार साल पहले ग्राम डोंडियाटोला बारात मेटाडोर वाहन से गये थे। उसके साथ सभी आहतगण भी गये थे, जब डोंडियाटोला से वापस आते समय बैहर में कंपाउण्डरटोला चौक के पास डिवाईडर में टक्कर मार दिया था, जिससे मेटाडोर पलट गई थी, जिससे उसे बकखे पर चोट लगी थी। उसका मुलाहिजा बैहर अस्पताल में हुआ

था एवं रोशनलाल की मृत्यु हो गई थी। वह नहीं बता सकता कि किसकी गलती से घटना घटी, क्योंकि वह पीछे बैठा था, उसे दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नम्बर याद नहीं है। पुलिस को उसने कोई बयान नहीं दिया था और ना ही पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना दिनांक को आरोपी मेटाडोर को तेज गति से चलाकर रोड़ के डिवाइडर से टकरा दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त मेटाडोर को कौन चला रहा था और कैसे चला रहा था, इसकी जानकारी उसे नहीं है, क्योंकि वह पीछे बैठा था, किंतु यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था और ना ही पुलिस ने घटना के संबंध में उससे कोई पूछताछ की थी।

19— साक्षी भगताराम अ.सा.16 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब तीन चार साल पूर्व बैहर मेन रोड की है। वह लोग शादी से ग्राम डोंडियाटोला से मेटाडोर में बैठकर भरी आ रहे थे। रात्रि करीब दो बजे बैहर मेन रोड के पास मेटाडोर डिवाइडर पर चढ़कर पलट गयी, जिससे सभी लोगों को चोटें आयी। घटना में गांव के रोशनलाल की मौके पर ही मौत हो गयी थी। उसे सीने में हल्की चोट आयी थी। घटना ड्रायवर की गलती से हुई थी, क्योंकि उसने गाड़ी को तेज गति से चलाकर एक्सीडेंट किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह उक्त वाहन चालक को नहीं जानता है, वह घटना के समय वाहन में पीछे बैठा था, उक्त वाहन कैसा चल रहा था और किसकी गलती से पलटा वह नहीं बता सकता।

20— साक्षी योगेश्वरी अ.सा.17 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब पांच साल पूर्व बैहर मेन रोड पर रात्रि करीब डेढ़-दो बजे की है। वह लोग ग्राम डोंडियाटोला से शादी से मेटाडोर से ग्राम भरी जा रहे थे। बैहर में गाड़ी पलट गयी, जिससे

उसमें बैठे सभी लोगों को चोटें आयी थी। घटना में रोशनलाल की मौके पर ही मौत हो गयी थी। उसे सिर तथा चेहरे पर चोट आयी थी। उन लोगों को बैहर अस्पताल ले गये थे। वह नहीं बता सकती कि घटना किसकी गलती से हुई, क्योंकि वह गाडी में पीछे बैठी थी। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि मेटाडोर के चालक ने गाडी को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मेन रोड पर बने डिवाइडर को ठोस मारकर बारातियों से भरी गाडी को पलटा दिया था, जिससे सभी को चोटें आयी थी। साक्षी के अनुसार वह गाडी में पीछे बैठी थी, घटना के समय वह बेहोश हो गयी थी, इसलिए नहीं बता सकती।

21— साक्षी दीपक मेरावी अ.सा.18 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब आठ साल पूर्व बैहर मेन रोड में रात्रि के समय की है। वह लोग भागरती की बारात में ग्राम ढोडियाटोला गये थे। वहां से वापस 709 वाहन में बैठकर ग्राम भर्ती आ रहे थे। कम्पाउण्डरटोला के पास उनका वाहन पलट गया था, जिससे वाहन में सवार सभी बारातियों को चोटें आयी थी। घटना में रोशनलाल खत्म हो गया था, उसे हल्की चोटें आयी थी। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। उसे 709 वाहन का नम्बर ध्यान नहीं है। घटना किसकी गलती से हुई वह नहीं बता सकता, क्योंकि घटना के समय वह लोग सो रहे थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना के समय मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50/एच-0585 के चालक नारायण ने वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर कम्पाउण्डरटोला के पास मेन रोड पर बने डिवाइडर को ठोस मारकर वाहन को पलटा दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह वाहन चालक को नहीं जानता है, वह घटना के समय वाहन में पीछे बैठा था, वाहन कैसे चल रहा था और किसकी गलती से पलटा वह नहीं बता सकता।

22— साक्षी मुकेश अ.सा.19 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब 06 साल पूर्व कंपाउण्डरटोला बैहर मेन रोड में रात्रि के समय की है। वह लोग भागरती की बारात में ग्राम ढोडियाटोला गये थे। वहां से वापस 709 वाहन में बैठकर ग्राम भर्ती आ रहे थे। कंपाउण्डर टोला के पास उनका वाहन पलट गया था, जिससे वाहन में सवार सभी बारातियों को चोटें आयी थी। घटना में रोशनलाल खत्म हो गया था तथा उसे हल्की चोटें आयी थी। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। उसे 709 वाहन का नम्बर ध्यान नहीं है। घटना किसकी गलती से हुई वह नहीं बता सकता, क्योंकि घटना के समय वह लोग सो रहे थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना के समय मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50/एच-0585 के चालक नारायण ने वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर कम्पाउण्डरटोला के पास मेन रोड पर बने डिवाइडर को ठोस मारकर वाहन को पलटा दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह वाहन चालक को नहीं जानता है, वह घटना के समय वाहन में पीछे बैठा था, वाहन कैसे चल रहा था और किसकी गलती से पलटा वह नहीं बता सकता।

23— साक्षी अमीलाल अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरोपी नारायण को नहीं जानता। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व रात के 2:00 बजे की सरकारी अस्पताल बैहर के सामने की है। गोंडीटोला से भर्ती गांव बारात मेटाडोर में जा रही थी। वह भी मेटाडोर में सवार था, मेटाडोर का कंडेक्टर उनके ही गांव का लड़का रोशनलाल और गाड़ी को चलाने वाले का नाम गाडी मालिक ने नारायण होना बताया था। वाहन का ड्रायवर वाहन को लहराते हुये चला रहा था और बैहर अस्पताल के पास पिल्लर में टकरा कर पलटा दिया। उक्त घटना में आरोपी की गलती थी। घटना में सभी व्यक्तियों को थोड़ी बहुत चोट लगी थी, किन्तु तीन व्यक्तियों को बहुत गंभीर चोटें आई थी, जिन्हें ईलाज के लिये बालाघाट अस्पताल ले जाया गया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जो कंडेक्टर

रोशनलाल था, जिसकी उक्त दुर्घटना में घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी।

24— साक्षी अमीलाल अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह मेटाडोर में पीछे तरफ बैठा था, मेटाडोर में ड्रायवर आगे बैठकर चलाता है और वह कैसे चला रहा था, उसने नहीं देखा। साक्षी के कथन अनुसार लहरा कर वाहन चला रहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि जब कोई बाहर घुमावदार रोड पर चलता है, तो लहराता है। साक्षी के अनुसार वह वाहन सीधी रोड में भी लहरा रहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि वाहन जिस रफ्तार में चलता है, उसी रफ्तार में मेटाडोर चल रही थी, ड्रायवर कौन था वह नहीं जानता वह गाड़ी मालिक के बताये अनुसार ड्रायवर का नाम नारायण बता रहा है।

25— साक्षी लालसिंह अ.सा.15 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 05-06 साल पूर्व की है। वह बारात में डग्गा में बैठकर गया था। उसके साथ आहतगण रसूला, पुसियाबाई दीपक व अन्य लोग बैठकर बारात में गये थे, उक्त डग्गा पलट गया था। वह सो गया था, घटना कैसे हुई, उसे जानकारी नहीं है। पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अपने कथन की कंडिका क्रमांक 02 में कथन किया है कि उसे याद नहीं है कि घटना दिनांक 27.04.2011 की है। साक्षी ने अस्वीकार किया कि घटना पुरानी होने के कारण उसे मेटाडोर का नम्बर याद नहीं है, मेटाडोर वाहन क्रमांक एम.पी50एच.0585 के चालक नारायण ने वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाकर बैहर के पास बने डिवाइडर पर ठोस मार दिया था, जिससे वाहन पलट गया था, मेटाडोर में बैठे सभी बारातियों को चोटें आयी थी, उसे भी चोट आयी थी, उसका मुलाहिजा हुआ था, ड्रायवर के पास कंडेक्टर सीट पर मृतक रोशनलाल बैठा था, जिसे चोटें आयी थी, उसे वहां पर मौजूद दिनेश, विनोद तथा दीपक ने ईलाज हेतु बैहर अस्पताल ले गये थे, थोड़ी देर बाद रोशनलाल ईलाज के दौरान फौत हो

गया था, रोशनलाल की मृत्यु एक्सीडेंट में आयी चोट के कारण हुई थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी-32 न देना व्यक्त किया।

26— साक्षी उसियाबाई अ.सा.21 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब तीन वर्ष पूर्व रात्रि के समय बैहर की है। घटना के समय वह लोग बारात में भरी से ढोडियाटोला जाने के पश्चात वापस अपने ग्राम भरी लौट रहे थे, तभी बैहर के पास आरोपी ने वाहन को पलटा दिया, जिससे वाहन में सवार लोगों को चोटें आई थी। घटना में उसे कोई चोट नहीं आई थी। उसके बाद घायलों का बैहर अस्पताल में ईलाज हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। घटना आरोपी चालक की गलती से हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय वह वाहन में पीछे बैठी थी, घटना के समय वाहन कैसे चल रहा था, वह नहीं बता सकती, किन्तु यह अस्वीकार किया कि घटना में वाहन चालक की गलती नहीं थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना में ड्रायवर की क्या गलती थी, वह नहीं बता सकती और ड्रायवर होने के कारण उसकी गलती वाली बात बता रही है।

27— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.14 ने कथन किया है कि वह दिनांक 28.04.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा एक तहरीर टी.आई. बैहर को दी गयी, जिसमें लेख है कि उसके द्वारा निम्नलिखित लोगों को भर्ती किया गया था, लाने वालों के द्वारा बताया गया था कि रोड़ एक्सीडेण्ट से चोट आयी है। उक्त तहरीर रिपोर्ट प्रपी-30 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने रोशनलाल को जांच उपरान्त मृत पाया था। आहत विनोद, सुमनसिंह, श्रीमती सुनिता, श्रीमती सुखबती, अमीलाल, हिरदे एवं सद्दू को भर्ती किया गया था। उसके द्वारा पुनियाबाई, राजेन्द्र, लालसिंह, मुकेश, श्रीमती योगेश्वरी, भगताराम, श्रीमती फुलाबाई, पंचेश्वर, अजय, हितेन्द्र, एवं श्रीमती रमसुलाबाई को प्राथमिक उपचार देकर डिस्चार्ज किया गया था। उक्त दिनांक को थाना बैहर

से आरक्षक सुनील नंबर 379 द्वारा आहत अमीलाल को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें चोट क्र. 01—लेसरेटेडउंड 2.5 गुणा आधा इंच तिरछापन लिये हड्डी तक गहरायी लिये लालीमा लिये उक्त चोट सिर के अग्र भाग पर बायें तरफ पाया था, चोट क्र.02 कंट्यूजन जो कि आधा इंच लिये उक्त चोट ठुडडी पर होना पाया, चोट क्र.3 कंट्यूजन ढेड़ गुणा आधा इंच लिये हुये थी, जो कि सीने के दाहिने तरफ मौजूद थी। जनरल कंडीशन में आहत होस में था, सभी पैरामीटर नियमित चल रहे थे। उसके मतानुसार सभी चाटों के लिए एक्स-रे की सलाह दी गयी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है तथा उसके जांच के छः घंटे के अंदर की है, टांके लगाये गये थे। आहत को देखरेख हेतु भर्ती कर जिला अस्पताल रिफर किया गया था।

28— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.14 के अनुसार उक्त दिनांक को उक्त आरक्षक द्वारा आहत हिरदेसिंह को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें चोट क्र.01 एक कंट्यूजन एक गुणा आधा इंच लिये जिसमें विकृति आ गयी थी, जो कि दाहिने रिस्ट ज्वाइंट पर बाहर की तरफ होना पाया था, चोट क्र.02 ढेड़ गुणा आधा इंच लिये जो कि सीने में बांये तरफ पाया था। जनरल कंडीशन में आहत होश में था तथा सभी पैरामीटर नियमित चल रहे थे। उसके मतानुसार एक्स-रे की सलाह दी गयी थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है तथा उसके जांच के छः घंटे भीतर की है। आहत को देखरेख हेतु भर्ती कर जिला अस्पताल बालाघाट रिफर किया गया था। उक्त दिनांक को ही उक्त आरक्षक द्वारा आहत राजेन्द्र को लाने पर उसके द्वारा परीक्षण किया गया। आहत द्वारा बताया गया कि उसके बांये सीने पर दर्द है, जांच में कोई चोट होना नहीं पाया था।

29— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.14 के अनुसार उक्त दिनांक को आरक्षक मोहन नंबर 131 थाना बैहर द्वारा आहत सुमनसिंह को लाने पर उसके द्वारा परीक्षण किया गया, जिसमें आहत को चोट क्र.01 कंट्यूजन दो गुणा एक इंच लिये, जिसमें विकृति आ गयी थी, जो कि पीट पर दाहिने तरफ होना पाया

था। चोट क्र.02 कंट्यूजन विथ एब्रेजन एक गुणा आधा इंच लिये जो कि बांये आई ब्रो पर होना पाया था। चोट क्र.03 एब्रेजन आधा गुणा आधा इंच लिये चमड़ी निकल गयी थी, उक्त चोट राईट एल्बो ज्वाइंट बाहर की तरफ पाया था। जनरल कंडीशन में आहत होस में था तथा सभी पैरामीटर नियमित चल रहे थे। उसके मतानुसार चोट क्र.01 के लिये एक्स-रे की सलाह दी गई थी। बाकि चोटे साधारण प्रकृति की थी जो कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है, जो कि जांच के छः घंटे के भीतर की है आहत को देखरेख हेतु भर्ती कर जिला अस्पताल बालाघाट रिफर किया गया था।

30— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.14 के अनुसार उक्त दिनांक को उक्त आरक्षक द्वारा आहत श्रीमती सुदनबाई को लाने पर उसके द्वारा परीक्षण किया गया, जिसमें चोट क्र.01 कंट्यूजन विथ एब्रेजन ढेड़ गुणा आधा इंच लिये लालिमा लिये दाहिने चेहरे पर होना पाया था, चोट क्र.02 एक एब्रेजन एक गुणा आधा इंच लिये जो कि टुड्डी पर होना पाया था। जनरल कंडीशन में आहत होस में थी तथा सभी पैरामीटर नियमित चल रहे थे। उसके मतानुसार आहत को एक्स-रे की सलाह दी गई थी। चोटें कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है, जो कि उसके जांच के छः घंटे के भीतर की है आहत को देखरेख हेतु भर्ती किया गया था। उक्त दिनांक को उक्त आरक्षक द्वारा आहत श्रीमती सुनीता को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें चोट क्र.01 कंट्यूजन ढेड़ गुणा आधा इंच लिये उक्त चोट दाहिने सीने पर होना पाया था, चोट क्र.02 एब्रेजन आधा गुणा आधा इंच लिये जो कि नाक पर होना पाया था। उसके मतानुसार चोट साधारण प्रकृति की थी, जो कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है तथा उसके जांच के छः घंटे भीतर की है, आहत को देखरेख हेतु भर्ती किया गया था।

31— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.14 के अनुसार उक्त दिनांक को ही उक्त आरक्षक द्वारा आहत विनोद को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें चोट क्र.01 कंट्यूजन ढाई गुणा आधा इंच लिये जो

कि बाये कुल्हे पर होना पाया, चोट क्र.02 कंट्यूजन एक गुणा आधा इंच लिये जो कि दाहिने पैर पर होना पाया था। जनरल कंडीशन में आहत होस में था तथा सभी पैरामीटर नियमित चल रहे थे। उसके मतानुसार एक्स-रे की सलाह दी गई थी। उक्त चोट कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है, जो उसके जांच के छः घंटे भीतर की है, आहत को देखरेख हेतु भर्ती किया गया था। उक्त दिनांक को ही आरक्षक 379 थाना बैहर द्वारा आहत सदू को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें चोट क्र.01 आहत के शरीर पर कंट्यूजन विथ एब्रेजन डेढ़ गुणा आधा इंच लिये, उक्त चोट दाहिने घुटने के ज्वाइंट पर सामने की तरफ होना पाया था, चोट क्र.02 एब्रेजन आधा गुणा आधा इंच लिये उक्त चोट बाये कंधे पर बाये पंजे के छोटी उंगली पर होना पाया था। उसके मतानुसार चोट साधारण प्रकृति की थी, जो कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है, जो उसके जांच के छः घंटे भीतर की है, आहत को देखरेख हेतु भर्ती किया गया था।

32— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.14 के अनुसार उक्त दिनांक को ही उक्त आरक्षक द्वारा आहत श्रीमती फूलाबाई को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें चोट क्र.01 कंट्यूजन एक गुणा आधा इंच लिये जो कि बाये सीने पर होना पाया था। उसके मतानुसार चोट साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है, जो उसके जांच के छः घंटे भीतर की है। उक्त दिनांक को आरक्षक क्र.171 द्वारा आहत रमसुलाबाई को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें चोट क्र.01 कंट्यूजन एक गुणा आधा इंच लिये जो कि दाहिने सीने पर होना पाया था। चोट क्र.02 एब्रेजन आधा गुणा आधा इंच लिये, जो कि दाहिने पैर पर होना पाया था। उसके मतानुसार चोट साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है, जो उसके जांच के 06 घंटे भीतर की है। उक्त दिनांक को आरक्षक क्र.379 द्वारा आहत अजय को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें आहत के शरीर पर एब्रेजन होना पाया था, उक्त चोट बायें सोल्डर ज्वाइंट पर पाया था। उसके मतानुसार

चोटें साधारण प्रकृति की थी जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। जो उसके जांच के छः घंटे भीतर की है।

33— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.14 के अनुसार उक्त दिनांक को आरक्षक क्र.171 द्वारा आहत दिनेश को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें एब्रेजन एक गुणा आधा इंच लिये जो कि दाहिने आई ब्रो पर होना पाया था। उसके मतानुसार चोटे साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है तथा उसके जांच के छः घंटे भीतर की है। उक्त दिनांक को आरक्षक क्र.379 द्वारा आहत श्रीमती पुसियाबाई को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें चोट क्र.01 कंट्यूजन ढेड़ गुणा आधा इंच लिये, जो कि दाहिने पीठ पर दाहिने भाग होना पाया था। चोट क्र.02 एब्रेजन आधा गुणा आधा इंच लिये जो कि बाये पंजे के उपरी भाग पर होना पाया था। उसके मतानुसार चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है तथा उसके जांच के छः घंटे भीतर की है। उक्त दिनांक को ही आरक्षक क्र.379 द्वारा आहत दीपक को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें चोट क्र.01 कंट्यूजन एक गुणा आधा इंच लिये, जो कि पीठ पर बांये तरफ होना पाया था। उसके मतानुसार चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है तथा उसके जांच के 06 घंटे भीतर की है।

34— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.14 के अनुसार उक्त दिनांक को आरक्षक क्र.171 द्वारा आहत लालसिंह को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें चोट क्र.01 कंट्यूजन ढेड़ गुणा आधा इंच लिये, जो कि सिर के दाहिने तरफ होना पाया था। चोट क्र.02 एब्रेजन आधा गुणा आधा इंच लिये, जो कि एल्बो ज्वाइंट राईट पर होना पाया था। उसके मतानुसार चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है तथा उसके जांच के छः घंटे भीतर की है। उक्त दिनांक को ही आरक्षक क्र. 371 द्वारा आहत भगतसाम को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया

गया, जिसमें चोट क्र.01 कंट्यूजन डेड गुणा आधा इंच लिये, जो कि बांये सीने पर होना पाया था। उसके मतानुसार चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है तथा उसके जांच के छः घंटे भीतर की है। उक्त दिनांक को ही आरक्षक क्र.171 द्वारा आहत योगेश्वरी को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें चोट क्र.01 कंट्यूजन डेड गुणा आधा इंच लिये जो कि सिर के अग्र भाग पर होना पाया था। चोट क्र.02 एब्रेजन आधा गुणा आधा इंच लिये जो बाये गले पर होना पाया था। उसके मतानुसार चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है तथा उसके जांच के छः घंटे भीतर की है।

35— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.14 के अनुसार उक्त दिनांक को ही आरक्षक क्र.171 द्वारा आहत मुकेश को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें चोट क्र.01 एब्रेजन एक गुणा आधा इंच लिये जो कि बाये कोहनी पर होना पाया था। उसके मतानुसार चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है तथा उसके जांच के 06 घंटे भीतर की है। उक्त दिनांक को ही आरक्षक क्र.379 द्वारा आहत पंकेश को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें चोट क्र.01 कंट्यूजन डेड गुणा आधा इंच लिये जो कि दाहिने सीने पर होना पाया था। चोट क्र.02 एब्रेजन आधा गुणा आधा इंच लिये जो कि बांये हाथ पर बाहर की तरफ होना पाया था। उसके मतानुसार चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है तथा उसके जांच के छः घंटे भीतर की है। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.11 लगायत प्र.पी.29 है, जिसके क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

36— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.14 के अनुसार दिनांक 28.04.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर से आरक्षक आशीष शर्मा नंबर 103 द्वारा मृतक रोशनलाल को पी.एम. हेतु लाया गया था, जिसे रामसिंह एवं जयराम द्वारा पहचाना गया था।

शव का विच्छेदन उसके द्वारा 11:45 बजे प्रारंभ किया गया। बाह्य परीक्षण करने पर उक्त शव चित्त अवस्था में पाया था। वह कपड़े पहने था, मुँह और आंखें बंद थी। नाक में खून जमा था। बांये कान पर भी खून पाया था। नाखुन पीले पड़ गये थे। शरीर पर चोटें पायी गयी थी। चोट क्र.01 कंट्यूजन 3.5 गुणा एक इंच लिये तिरछापन लिये, लालीमा भूरापन लिये विकृति आ गयी थी, चीरा लगाने पर अस्थिभंग होना पाया था, जिसके नीचे अत्यधिक मात्रा में रक्त का थक्का होना पाया था। उक्त चोट सिर के बांये तरफ पैराइटल बोन पर पाया था। चोट क्र.02 कंट्यूजन एक गुणा आधा इंच लिये सिर के बांये तरफ पैराइटल बोन पर पाया था। चोट क्र.03 एब्रेजन आधा गुणा आधा इंच लिये बांये पंजे पर होना पाया था। चोट क्र.04 कंट्यूजन एक गुणा एक इंच लिये दाहिने रिस्ट ज्वाइंट पर पाया था। चोट क्र.05 कंट्यूजन एक गुणा एक चौथाई इंच लिये दाहिने पंजे पर बाहर की तरफ पाया था। उक्त चोटें मृत्यु पूर्व की थी, जो कड़ी एवं बोथरी व खुरदुरी सतह से आ सकती है।

37— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.14 के अनुसार उसके द्वारा आंतरिक परीक्षण करने पर उसने पाया कि वह सामान्य कद काठी का था। पर्दा, पसली, कंठ, आंत की झिल्ली, मुँह ग्रास नली, जननेंद्रियाँ स्वस्थ पाया था। फेफड़े, यकृत, प्लीहा, गुर्दा पीला होना पाया था। हृदय में बहुत कम रक्त था। पेट में अधपचा भोजन होना पाया था, जिसमें शराब की बू आ रही थी, छोटा पेट तरल खाद्य पदार्थ पाया था, बड़ी आंत विष्ट होना पाया। उसके मतानुसार मृत्यु का प्रकार सदमा होना था, जो कि प्राणघातक चोट क्र.01(हेड इंजुरी से उत्पन्न अत्यधिक रक्त स्त्राव से मृत्यु होना पाया था। मृत्यु उसके परीक्षण के बीस घंटे के अंदर की होना पाया था। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-31 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि तीन या चार लोग साधारण प्रकृति की चोट वाले हैं, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उक्त चोटें पथरीली जगह एवं किसी कठोर वस्तु से टकराने से उक्त प्रकार की चोट आ सकती है, मृतक को चोटें किसी कठोर वस्तु के प्रहार से आ सकती है।

38— साक्षी दिनेश अ.सा.12 ने कथन किया है कि वह आरोपी एवं प्रार्थी को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-10 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

39— साक्षी पूरनलाल लिहारे अ.सा.20 ने कथन किया है कि वह दिनांक 28.04.2011 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी बुद्धनसिंह ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि चौथिया बारात से वापस आते समय मेटाडोर 1109 क्रमांक एम.पी.50एम. 0585 के चालक ने उक्त वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए कंपाउन्डरटोला बैहर के पास बने डिवाइडर को ठोस मारकर मेटाडोर को पलटा दिया है, जिसमें मेटाडोर में बैठे बारातियों को चोटें आई हैं। उक्त रिपोर्ट पर उसके द्वारा अपराध क्रमांक 47/11 अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा-183 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी.-2 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को उसके द्वारा घटनास्थल पर जाकर साक्षी बुद्धनसिंह की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.-35 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही एक मेटाडोर 1009 क्रमांक एम.पी. 50एम.0585 को घटनास्थल से गवाह बुंदरसिंह एवं राजेन्द्र सिंह के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.-1 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

40— साक्षी पूरनलाल लिहारे अ.सा.20 के अनुसार उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही साक्षी बुन्दरसिंह, सद्दूलाल, पंकेशसिंह, विनोद सिंह, दिनेश सिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। उक्त दिनांक को ही शासकीय अस्पताल बैहर से वार्डवाय ओमप्रकाश द्वारा थाना पहुँचकर मृतक रोशनसिंह की मृत्यु हो जाने के संबंध में मर्ग इंटीमेशन लेख कराया, जो प्र.पी.34 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा मृतक

रोशनलाल के शव पंचनामा कार्यवाही उपस्थित पंचान रामसिंह, मेसरसिंह, राजेन्द्र सिंह, सतराम सिंह एवं नंदलाल सिंह के समक्ष की गई थी, जो प्र.पी.35 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी नारायण द्वारा दिनांक 02.05.2011 को घटना में प्रयुक्त वाहन के कागजात, रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, ड्रायविंग लायसेंस पेश करने पर गवाह बुधराम, सालिकराम के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.-36 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 02.05.2011 को ही आरोपी नारायणसिंह को गवाह आनंद अग्रवाल एवं सुनील पंचाले के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र. पी.-37 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी नारायण सिंह के हस्ताक्षर है। दिनांक 25.05.2011 को अन्य आहतगण खुशियाबाई, दीपक, गोंड, अजयसिंह, रमसुलाबाई, फूलाबाई, सुदनबाई, सुनीताबाई, सुमनसिंह, अमीलाल, हिरदेसिंह, मुकेश सिंह, योगेश्वरीबाई, भगताराम, लालसिंह, राजेन्द्रसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। जप्तशुदा वाहन का परीक्षण परीक्षणकर्ता गोपाल प्रसाद श्रीवास से कराया गया था, जो प्र.पी.-38 है, जिसके ए से ए से ए भाग पर वाहन परीक्षणकर्ता गोपाल प्रसाद श्रीवास के हस्ताक्षर है। संपूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन उसके द्वारा थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

41- साक्षी पूरनलाल लिल्हारे अ.सा.20 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्रार्थी बुंदरसिंह ने आरोपी के नाम से नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि बुंदरसिंह ने घटनास्थल का मौका-नक्शा नहीं बताया था, समस्त आहतगण एवं स्वतंत्र साक्षी ने अपने कथन लेख नहीं कराये थे, प्रकरण की समस्त कार्यवाही उसने अपने मन से लेखबद्ध की है, समस्त कार्यवाही उसने थाने में बैठकर किया है, स्वतंत्र साक्षी बुंदरसिंह और राजेन्द्र के समक्ष दुर्घटनाग्रस्त वाहन घटनास्थल से जप्त नहीं किया गया था, समस्त स्वतंत्र साक्षीगण को उनके कथन पढ़कर नहीं सुनाये थे और ना ही पढ़ने दिये थे, वाहन से संबंधित

दस्तावेज आरोपी से जप्त नहीं किया था। वह यह नहीं बता सकता कि रिपोर्टकर्ता बुंदरसिंह एवं समस्त स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया, इसका वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने अस्वीकार किया है कि संपत्ति जप्ती पत्रक प्रपी-06 में समय का उल्लेख नहीं किया था, उसने आरोपी के विरुद्ध झूठी विवेचना कर न्यायालय में पेश किया।

42— उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा चालित वाहन से कारित दुर्घटना में आहतगण को उपहति तथा रोशनलाल की मृत्यु कारित हुई थी, परंतु उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी, इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की हैं। सभी आहतगण वाहन में पीछे सवार थे, जो घटना के समय नींद में थे। किसी भी साक्षी ने घटना में अभियुक्त की किसी विशिष्ट उपेक्षा अथवा उतावलेपन को प्रकट नहीं किया है और अभियोजन कहानी से पूर्णतः इंकार किया है।

43— अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया गया तथा सुमनसिंह, अमीलाल, हिरदेसिंह, सुनिता, सुदनबाई, विनोद, सद्दुलाल, फूलाबाई, रमसूलाबाई, अजय, दिनेश, पुसियाबाई, राजेन्द्र, दीपक, लालसिंह, भगतराम,

योगेश्वरी, मुकेश एवं पंकेश को साधारण उपहति कारित किया एवं उक्त वाहन में बैठे मृतक रोशनलाल की मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता। अतः अभियुक्त नारायण को भा.दं०सं० की धारा-279, 337(उन्नीस शीर्ष) एवं 304ए के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

44— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

45— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्र.एम.पी.50एच.0585 मेटाडोर 1109 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

46— आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)